



Fundamental Rights IV

(मौलिक अधिकार)



Shubham Gupta Sir

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

अनुच्छेद 21 → प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

- किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- नागरिक एवं विदेशी — दोनों को प्राप्त है।
- मेनका गांधी मामला (1978) अनुच्छेद 21 के इतिहास का सर्वाधिक ऐतिहासिक निर्णय है।
- इसी निर्णय के बाद "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की व्याख्या "सम्यक् विधिक प्रक्रिया (Due Process of Law)" के रूप में होने लगी।
- 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद से, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

तुलना का आधार	ए.के. गोपालन (1950)	मेनका गांधी (1978)
दृष्टिकोण	संकीर्ण व्याख्या।	व्यापक (Broad)
संरक्षण का दायरा	केवल कार्यपालिका के खिलाफ।	कार्यपालिका और विधायिका दोनों।
विधि का सिद्धांत	कठोर रूप से "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (जापान) का पालन। कानून कैसा भी हो, यदि वह संसद द्वारा पारित है, तो मान्य है।	अप्रत्यक्ष रूप से "विधि की उचित प्रक्रिया" (अमेरिकी मॉडल) को अपनाया। कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और तार्किक होना चाहिए।
'जीवन' का अर्थ	केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना या पशुवत जीवन माना गया।	'जीवन' का अर्थ "मानवीय गरिमा के साथ जीना" माना गया।
मौलिक अधिकारों का संबंध	अनुच्छेदों को 'वाटर-टाइट कंपार्टमेंट' (अलग-अलग) माना गया। अनुच्छेद 19 और 21 एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं।	"स्वर्णिम त्रिभुज" (Golden Triangle) का सिद्धांत: अनुच्छेद 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं।

तुलना का आधार	सतवंत सिंह साहनी केस (1967)	मेनका गांधी केस (1978)
विवाद का मुख्य कारण	बिना किसी कानून के सरकार द्वारा पासपोर्ट संरेखर करने का आदेश देना।	पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त करना।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय	'विदेश यात्रा का अधिकार' अनुच्छेद 21 (दैहिक स्वतंत्रता) का हिस्सा है।	कानून की प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती, उसे 'उचित, न्यायपूर्ण और तार्किक' होना चाहिए।
किस पर रोक लगाई?	केवल कार्यपालिका (सरकार/अधिकारियों) की मनमानी पर।	कार्यपालिका और विधायिका (संसद के बनाए कानून) दोनों की मनमानी पर।
कानूनी दृष्टिकोण	"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का कड़ाई से (शाब्दिक) पालन किया गया।	अमेरिकी संविधान के "सम्यक् विधि प्रक्रिया" (Due Process of Law) के दर्शन को अपनाया गया।

प्राकृतिक न्याय	इस पहलू पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी।	प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) को कानून की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा माना गया।
तत्काल प्रभाव / परिणाम	सरकार को विदेश यात्रा रोकने के लिए 'पासपोर्ट अधिनियम, 1967' बनाना पड़ा।	भारत में मौलिक अधिकारों के विस्तार का एक नया और सबसे बड़ा युग शुरू हुआ।

क्र.	केस (वर्ष)	अनुच्छेद 21 के अंग के रूप में घोषित अधिकार
1.	सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामरत्नम (1967)	विदेश यात्रा का अधिकार : पासपोर्ट अधिनियम, 1967
2.	एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978)	मुफ्त (निःशुल्क) कानूनी सहायता का अधिकार
3.	हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार (1979)	त्वरित (Speedy) सुनवाई का अधिकार
4.	फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली (1981)	कैदी को जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ पाने का अधिकार
5.	शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983)	हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार
6.	रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985)	स्वच्छ/सभ्य पर्यावरण का अधिकार
7.	ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम (1985)	आजीविका (Livelihood) का अधिकार
8.	परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989)	आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार (डॉक्टर की सहायता का अधिकार)
9.	शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम एन.के. टोटेम (1990)	आश्रय (Shelter) का अधिकार
10.	के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)	एकांतता / निजता (Privacy) का अधिकार
11.	एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (कई वाद)	स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल-वायु का अधिकार
12.	डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)	हथकड़ी लगाने और हिरासत में यातना के विरुद्ध अधिकार
13.	कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) / अरुणा शानबाग	सम्मान के साथ मरने (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) का अधिकार
14.	अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लछमा देवी (1986)	सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
15.	मोहिनी जैन (1992) व उन्नी कृष्णन (1993)	निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (बाद में इसे 21A बना दिया गया)



अनुच्छेद 21 : Right to Life VS Right to Die



यूथनेशिया | आत्महत्या का प्रयास | MHCA | Landmark Judgments



1. क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है?

अनुच्छेद 21 के तहत 'Right to Life' में 'Right to Die' शामिल है या नहीं – इस पर भारतीय न्यायपालिका में लंबी बहस रही है।

1987 – मारुति श्रीपति दुबल वाद (बॉम्बे हाईकोर्ट):

- 'जीने के अधिकार में मरने का अधिकार' शामिल माना।
- IPC की धारा 309 को असंवैधानिक घोषित किया।



1994 – P. Rathinam बनाम भारत संघ:

- सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया।
- कहा कि अनुच्छेद 21 में Right to Die शामिल है।



1996 – ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य:

- 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ।
- P. Rathinam का फैसला पलट दिया।
- स्पष्ट किया: 'Right to Life' में Right to Die शामिल नहीं है।



★ UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस

2. यूथनेशिया (Euthanasia) / इच्छा मृत्यु

सक्रिय यूथनेशिया (Active Euthanasia):

- किसी बाहरी माध्यम जैसे जहरीला इंजेक्शन देकर जीवन समाप्त करना।
- भारत में पूरी तरह अवैध।

निष्क्रिय यूथनेशिया (Passive Euthanasia):

- Life Support / Ventilator / Artificial Feeding हटाकर मरीज को प्राकृतिक मृत्यु होने देना।



2011 – अरुणा शानबाग वाद:

- सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कड़े दिशा-निर्देशों के साथ Passive Euthanasia को मान्यता दी।



2018 – Common Cause बनाम भारत संघ:

- Passive Euthanasia को कानूनी मान्यता दी।
- 'Living Will' / Advance Medical Directive को भी मान्यता मिली।

सार: Active Euthanasia अवैध, Passive Euthanasia सीमित शर्तों के साथ वैध।

3. आत्महत्या का प्रयास, MHCA और BNS

MHCA 2017 (धारा 115):

- आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को 'Severe Stress' में माना जाएगा।
- उसे सहायता देने के बजाय Care, Treatment और Rehabilitation पर जोर।

IPC धारा 309:

- व्यवहारिक रूप से decriminalize हो गई।

BNS 2023:

- IPC 309 जैसा सामान्य अपराध नहीं रखा गया।
- लेकिन धारा 226 के तहत, यदि कोई व्यक्ति public servant को compel या restrain करने के उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयास करता है, तो वह दंडनीय है।

★ Current Affairs Value Addition

4. 2018 के अन्य ऐतिहासिक वाद

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- IPC धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया।
- आपसी सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं।
- Article 14 और 21 के तहत गरिमा व समानता की पुष्टि।



जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018):

- IPC धारा 497 (Adultery) असंवैधानिक घोषित।
- व्यभिचार अब criminal offence नहीं है।
- हालांकि यह अब भी divorce का civil ground हो सकता है।
- महिलाओं की गरिमा, समानता और autonomy की रक्षा।



✓ Right to Die = मौलिक अधिकार नहीं

✓ Right to Die with Dignity = सीमित संदर्भ में मान्यता

— Quick Revision —

✓ Passive Euthanasia + Living Will = मान्य

✓ Active Euthanasia = अवैध



राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन



1 अनुच्छेद 358 : अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन

- जब देश में 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताएँ (जैसे- बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आजादी आदि) स्वतः (automatically) निलंबित हो जाती हैं।
- इसके लिए राष्ट्रपति को कोई अलग से आदेश नहीं निकालना पड़ता।
- ★ महत्वपूर्ण बदलाव (44वाँ संविधान संशोधन, 1978): यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है।
- आपातकाल हटने के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है।



2 अनुच्छेद 359 : अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन

- अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के अधिकार (Enforcement of Fundamental Rights) को निलंबित कर दे।
- इसका मतलब है कि अधिकार स्वयं समाप्त नहीं होते, बल्कि यदि राज्य उनका उल्लंघन करता है तो नागरिक उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय (Supreme Court या High Court) नहीं जा सकते।
- राष्ट्रपति अपने आदेश में यह स्पष्ट करते हैं कि कौन-कौन से अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा रहा है और यह कितने समय के लिए होगा।



3 सबसे बड़ा अपवाद : अनुच्छेद 20 और 21 (कभी निलंबित नहीं होते)

- आपातकाल के इतिहास (विशेषकर 1975 के आपातकाल) से सबक लेते हुए 44वाँ संविधान संशोधन (1978) द्वारा एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा उपाय जोड़ा गया।
- ★ अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- ★ अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life and Personal Liberty)।
- नियम: चाहे कोई भी आपातकाल हो और उसका कारण कुछ भी हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।



अन्य आपातकालों का प्रभाव

राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356):

- जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

- यदि देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, तब भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता।



★ याद रखें: अधिकार खत्म नहीं होते, केवल उन्हें लागू कराने का मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो सकता है (अनुच्छेद 359 के तहत)। ★

अनुच्छेद 21 (A) → शिक्षा के अधिकार

- राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, उस तरीके से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।
- शिक्षा का उल्लेख मूल रूप से नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 45 में था, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।।
- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992): 'जीवन के अधिकार' (अनुच्छेद 21) में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।
- उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही मौलिक अधिकार है, इसके बाद यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर।
- 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 → अनुच्छेद 21A को भाग III
- संसद ने 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

अनुच्छेद 22 → कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण



दंडात्मक निरोध (Punitive)

- 1 अनुच्छेद 22(1) से 22(3) → दंडात्मक निरोध
- 2 किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा देने के लिए हिरासत में लेना।
- 3 दंडात्मक और सुधारात्मक (Punitive and corrective)
- 4 सामान्य आपराधिक कानूनों (CrPC, IPC/BNS) द्वारा शासित।



निवारक निरोध (Preventive)

- 1 अनुच्छेद 22(4) से 22(7) → निवारक निरोध
- 2 किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए बिना मुकदमे के हिरासत में लेना।
- 3 एहतियाती और निवारक (Precautionary and preventive)
- 4 विशिष्ट संसदीय या राज्य कानूनों (जैसे, NSA, PSA) द्वारा शासित।



दंडात्मक = अपराध के बाद सजा

निवारक = संभावित भविष्य के अपराध की रोकथाम

22 (1)

- गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार
- व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार

22 (2)

- 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार
- इस 24 घंटे की अवधि में अदालत तक यात्रा में लगने वाले समय को शामिल नहीं किया जाता है

22 (3)

- सुरक्षा-कवच उपलब्ध नहीं →
- विदेशी (शत्रु-विदेशी)
- निवारक निरोध कानून के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति
- उच्चतम न्यायालय → न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन-अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है।"

यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के उपलब्ध है।

22 (4)

- निवारक निरोध की अवधि 3 माह से अधिक नहीं — जब तक सलाहकार बोर्ड उचित कारण न बताए।
- सलाहकार बोर्ड की संरचना : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रहे हैं, या नियुक्त होने के योग्य हैं।
- यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन विशेष परिस्थितियों या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, तो वहां अनुच्छेद 22(4) की 3 महीने वाली सीमा लागू नहीं होगी।
- 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निवारक निरोध की इस अधिकतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन, यह विशेष प्रावधान आज तक आधिकारिक तौर पर लागू (notify) नहीं किया गया है।

22 (5)

- निरोध के आधार या कारण जानने का अधिकार
- अपना पक्ष रखने का अधिकार : अपना प्रतिवेदन (Representation) या बचाव प्रस्तुत करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

22 (6)

- यदि प्राधिकारी को लगता है कि तथ्यों का खुलासा करना "सार्वजनिक हित" (Public Interest) के खिलाफ है, तो वह ऐसा करने से इनकार कर सकता है

22 (7)

- निवारक निरोध के संबंध में संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।
- (a) सलाहकार बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना भी तीन महीने से अधिक समय तक निवारक हिरासत में रखा जा सकता है।
- (b) निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बंदी बनाए रखने की अधिकतम समय-सीमा
- (c) जब कोई सलाहकार बोर्ड किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण या निवारक निरोध मामले की जांच करता है, तो उसे किस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

निवारक निरोध का विषय सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में है। लेकिन, अनुच्छेद 22(7) के तहत अधिकतम अवधि तय करने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 और 24

अनुच्छेद 23

मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध



अनुच्छेद 24

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध



अनुच्छेद 23 सभी की रक्षा करता है | अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रक्षा करता है

अनुच्छेद 23 → मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध

23 (1)

- निषेध और विधि के अनुसार अपराध दंडनीय
 - मानव दुर्व्यापार
 - बेगार
 - अन्य प्रकार का बलात् श्रम

1 मानव दुर्व्यापार

- इंसानों को वस्तुओं की तरह खरीदना और बेचना।
- दास प्रथा + देवदासी + जोगिनी प्रथा



2 बेगार (Begar)

- बिना कोई मजदूरी (पारिश्रमिक) दिए काम



3 बलात् श्रम

- किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना।



4 देवदासी / जोगिनी प्रथा

- इस प्रथा के अंतर्गत छोटी बच्चियों को जीवन भर के लिए किसी मंदिर, देवता या देवी को समर्पित (Dedicate) कर दिया जाता था।
- दक्षिण भारत में इसे 'देवदासी' और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 'जोगिनी' या 'मातम्मा' कहा।



5 पूर्व नाम

- भरतनाट्यम को पहले 'सदिर', 'सदिर नाट्यम' या 'दासी अट्टम' कहा जाता था।



6 महत्वपूर्ण कानून

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic Prevention Act) : अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति
- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976



7 श्रम संरक्षण कानून

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act)
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 : समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन।



23 (2)

- अपवाद (Exception - Public Purpose)
 - "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी।
 - ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।"
- सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) : राष्ट्र की सुरक्षा या समाज के हित में सरकार नागरिकों से अनिवार्य सेवा ले सकती है।
- उदाहरण : युद्ध के समय सेना में अनिवार्य भर्ती या किसी प्राकृतिक आपदा के समय नागरिकों से सामाजिक सेवा करवाना।
- अनिवार्य सेवा के लिए जेंडर के आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

- 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने (Factory), खदान (Mine), या अन्य किसी जोखिम भरे (Hazardous) कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- सकारात्मक दायित्व (Positive Obligation): यह राज्य पर एक दायित्व डालता है कि वह बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे।
- बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986

अनुच्छेद 24 को एकाकी रूप में नहीं पढ़ा जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इसे निम्नलिखित अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए:

1

अनुच्छेद 21A — शिक्षा का अधिकार



- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
- जब बच्चा स्कूल में होगा, तभी वह कारखाने से दूर रह पाएगा।

2

अनुच्छेद 39(e) — DPSP



राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की 'सुकुमार अवस्था' (Tender age) का दुरुपयोग न हो और उन्हें आर्थिक मजबूरी में ऐसे काम न करने पड़ें, जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हों।

3

अनुच्छेद 39(f) — DPSP



बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान किए जाएँ।

4

अनुच्छेद 45



6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा।

5

अनुच्छेद 24 का संपूर्ण अर्थ



अनुच्छेद 24 का सही अर्थ तभी समझा जा सकता है, जब इसे बाल संरक्षण, शिक्षा और कल्याण के व्यापक दृष्टिकोण के साथ पढ़ा जाए।

भारत में बाल श्रम कानून

प्रमुख प्रावधान और संशोधन

1 संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार देने पर पूर्णतः रोक लगाता है।



2 मुख्य कानून

बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986



3 विकास और प्रमुख संशोधन

2006: घरेलू काम, होटल, ढाबों और दुकानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। — पूर्ण निषेध

2016: सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध। 'किशोरों' (14-18 वर्ष) को कानूनी मान्यता दी गई और उन्हें खतरनाक व्यवसायों से प्रतिबंधित किया गया। — पूर्ण निषेध



4 छूट: 'घरेलू उद्यम' (Family Enterprise) खंड

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सख्त शर्तों के तहत परिवार के स्वामित्व वाले गैर-खतरनाक उद्यमों में मदद करने की अनुमति है (आंशिक निषेध)।

- शिक्षा प्राथमिकता:** मदद केवल स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों के दौरान ही की जा सकती है।
- समय सीमा:** प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे।
- समय की पाबंदी:** शाम 7:00 बजे से सुबह 8:00 बजे के बीच कोई काम करने की अनुमति नहीं है।
- कलाकारों के लिए छूट:** ऑडियो-विजुअल मनोरंजन उद्योग में बाल कलाकार एक दिन में अधिकतम 5 घंटे काम कर सकते हैं।



5 उल्लंघन के लिए दंड

- कारावास:** 6 महीने से 2 साल तक।
- जुर्माना:** ₹20,000 से ₹50,000 तक।



6 मुख्य उद्देश्य

बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और गरिमामय बचपन सुनिश्चित करना।



धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 से 28

अनुच्छेद 25

अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26

धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27

किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करें के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 → अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

25 (1)

❖ 'सभी व्यक्तियों' (नागरिक व गैर-नागरिक)

- अंतःकरण की स्वतंत्रता (Conscience) → आप ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, या फिर ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, यह सोचने की आपको पूरी आजादी है।
- धर्म के मानने का अधिकार (Profess) → अपने धार्मिक विश्वासों की सार्वजनिक रूप से और बिना किसी भय के घोषणा करना।
- धर्म के आचरण का अधिकार (Practice) → धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह करने।
- धर्म के प्रचार का अधिकार (Propagate) → बलपूर्वक या धोखे से अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं।

❖ युक्तियुक्त प्रतिबंध

- सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
- नैतिकता (Morality)
- स्वास्थ्य (Health)
- भाग III (मौलिक अधिकार) के अन्य प्रावधान

25 (2)

❖ राज्य की नियमन शक्ति (राज्य के द्वारा कानून बनाने की शक्ति)

- धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन।
- सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों व अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करे — यह मंदिर प्रवेश जैसे सामाजिक सुधार विधानों का संवैधानिक आधार है।

❖ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

- सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के आचरण का अंग माना जाएगा।
- "हिंदुओं" के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल माने जाएंगे।

➤ बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह भ्रम पैदा किया जाता है कि 'क्या सिक्ख, जैन, बौद्ध हिंदू हैं?' — नहीं,

➤ ये स्वतंत्र धर्म हैं, परंतु अनुच्छेद 25(2)(ख) के प्रयोजन (सामाजिक कल्याण विधान) तथा हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि) के प्रयोजन हेतु इन्हें 'हिंदू' की श्रेणी में रखा गया है।

अनुच्छेद 26 → धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

❖ प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination) या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- धार्मिक और धर्मार्थ (Charitable) उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार।
- अपने धर्म के विषय में अपने मामलों का स्वयं प्रबंध (Manage) करने का अधिकार।
- जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
- ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।

❖ युक्तियुक्त प्रतिबंध

- सार्वजनिक व्यवस्था
- नैतिकता
- स्वास्थ्य

धार्मिक संप्रदाय की शर्तें → S.P. Mittal बनाम भारत संघ (1983)

- ❖ यह उन व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास का एक सामान्य तंत्र हो।
- ❖ उनका एक सामान्य संगठन (Common organisation) होना चाहिए।
- ❖ उनका एक विशिष्ट नाम (Distinctive name) होना चाहिए।

➤ अनुच्छेद 25 'व्यक्तिगत' अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 'सामूहिक' अधिकार है — यह धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को प्राप्त है, व्यक्ति विशेष को नहीं।

अनुच्छेद 27 → किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करें के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

- ❖ राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जिसको विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति, प्रचार या रखरखाव के लिए खर्च किया जाना हो।
- ❖ यह व्यवस्था भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष (Secular) प्रकृति को पुष्ट करती है।
- ❖ अनुच्छेद 27 केवल 'कर' (Tax) लगाने पर रोक लगाता है, 'शुल्क' लगाने पर नहीं।
- ❖ प्रफुल्ल गोराडिया बनाम भारत संघ (2011) → अनुच्छेद 27 तब टूटता है जब सरकार द्वारा वसूले गए कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने में खर्च किया जाए।

अनुच्छेद 28 → कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

28 (1)

- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- अर्थात् → पूरी तरह से सरकारी स्कूल या कॉलेज में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती।

28 (2)

- खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी, जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन जिसकी स्थापना ऐसे ट्रस्ट के अधीन हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।
- अर्थात् → यदि कोई मदरसा, संस्कृत विद्यालय या अन्य संस्थान किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, लेकिन प्रशासन सरकार देख रही है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

28 (3)

- राज्य से मान्यताप्राप्त अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को
 - ❖ ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, अथवा
 - ❖ ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए
- तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने (अथवा वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने) इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो।

शिक्षण संस्थानों का वर्गीकरण और अनुच्छेद 28 का प्रभाव

इससे सरलता से समझने के लिए शिक्षण संस्थानों को चार श्रेणियों में देखा जा सकता है



1. पूरी तरह से सरकारी संस्थान

धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है।



2. राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थान

धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।



3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान

धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन भाग लेना स्वैच्छिक है।



4. राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान

धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन भाग लेना स्वैच्छिक है।



महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (27 जनवरी 2012)

- मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में 'गीता सार' (Essence of Bhagwad Gita) को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया था।
- न्यायालय ने माना कि 'गीता सार' को केवल एक विशिष्ट धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह जीवन दर्शन (Philosophy of Life) और सामाजिक मूल्यों को विकसित करने वाली शिक्षा है।



सार: अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध या अनुमति संस्थान की प्रकृति पर निर्भर करती है।